भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2718

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग

2718. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री सुजय विखे पाटील:
डॉ. मनोज राजोरिया:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री रीता बहुगुणा जोशी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में अपशिष्ट प्लास्टिक और अन्य प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से सड़को के निर्माण के संबंध में कोई नीति/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित ब्यौरा क्या है और राजस्थान सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की लंबाई और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी सड़कें लागत प्रभावी और टिकाऊ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे से युक्त सड़कों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कटे हुए प्लास्टिक की खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री जैसे फ्लाई ऐश, लोहा और स्टील स्लैग, निर्माण और तोडफोड (सी एंड डी) मलबा आदि का उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ऐसी अपशिष्ट सामग्री का उपयोग करने का लक्ष्य और उद्देश्य निर्माण की लागत को कम करना, देश के दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

(ग) अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(घ) अपशिष्ट प्लास्टिक के साथ निर्मित सड़क की लागत, लचीली फुटपाथ मिश्रित डिजाइन ऑफ वेअरिंग कोर्स पर निर्भर करती है और समुच्चय के गुणों के साथ भिन्न होती है। ऐसी सड़कों के लंबे समय तक टिकाऊ बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ड.) इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) ने मानकों को प्रकाशित किया है और इस मंत्रालय ने एनएच पर अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्षम दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(च) यह मंत्रालय इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी), निर्माण, संचालन, हस्तातरण (बीओटी) और हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम), मोड पर एनएच परियोजनाओं का कार्य करता है और ऐसे अनुबंध / रियायत समझौते में, टुकड़े-टुकड़े प्लास्टिक की खरीद ठेकेदार/रियायतकर्ता की जिम्मेदारी है ।

अनुबंध

'सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग' के संबंध में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्रीमती रंजीता कोली, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री सुजय विखे पाटील, डॉ. मनोज राजोरिया, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, श्री कृष्णपालसिंह यादव, श्री रीता बहुगुणा जोशी द्वारा पूछे गए दिनांक 22, दिसंबर 2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2718 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.सं	राज्य	प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर बनाई गई सड़कों की लंबाई (किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	201.34
2	अरुणाचल प्रदेश	10.59
3	असम	2
4	अण्डमान और निकोबार	1
5	बिहार	0
6	छत्तीसगढ	106.38
7	चंडीगढ़	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	
9	दिल्ली	
10	गोवा	38.10
1 1	गुजरात	3.5
12	हरियाणा	0
13	हिमाचल प्रदेश	2
14	झारखंड	0
15	जम्मू और कश्मीर	0
16	कर्नाटक	440
17	केरल	44.25
18	लक्षद्वीप	
19	लद्दाख	
20	मध्य प्रदेश	61.35
21	महाराष्ट्र	66
22	मणिपुर	7.96
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नगालैंड	0
26	ओडिशा	15.8
27	पंजाब	13.65
28	पुदुचेरी	0
29	राजस्थान	194.12
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	23.63
32	तेलंगाना	22.21
33	त्रिपुरा	0
34	उत्तर प्रदेश	422.50
35	उत्तराखंड	38.13
36	पश्चिम बंगाल	14.175

*****